न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 29/2018

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
श्रीमती सुन्दरदेवी पत्नी भंवरसिह पुत्री मानसिह जाति पुरोहित निवासी मोराई, तहसील जैतारण हाल निवासी ग्राम मादा तहसील देसूरी जिला पाली		1– भंवरसिह पुत्र सांवतसिह जाति पुरोहित निवासी ग्राम मोराई तहसील जैतारण जिला पाली 2– ग्राम पंचायत मोराई, पंचायत समिति जैतारण जरिये सरपंच

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 22–12–2017 जो उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा म्युटेशन अपील संख्या 6/2014 अनवान श्रीमती सुन्दरदवी बनाम भंवरसिह मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–तेजमल रांका अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–मालम सिह राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 की ओर से ।
3–राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम मोहराई तहसील जैतारण के नामांतरकरण संख्या 644 दिनांक अंकित नही जो खातेदार मानसिह पुत्र सबल सिह एवं शिवराज पुत्र मलूकचंद के फोत होने पर फोतेदगी का म्युटेशन सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा स्वीकृत किया गया था, उसके विरूद्ध वर्तमान अपीलार्थियां श्रीमती सुन्दरदेवी पुत्री मानसिह ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष प्रथम अपील पेश की, जिसे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–12–2017 के द्वारा अपील को अवधिपार होना मानते हुए खारीज कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थियां ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है ।

उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी । अपीलांट अधिवक्ता ने अपनी बहस के दौरान अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाधीन म्युटेशन भंवरसिह पुत्र मानसिह के नाम स्वीकृत किया गया जिसकी अपील अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत करने पर उक्त अपील के नोटिस भंवरसिह पुत्र मानसिह के नाम जारी होने पर नोटिस भंवरसिह पुत्र सांवतसिह ने प्राप्त किया तथा अधीनस्थ न्यायालय मे भंवरसिह पुत्र सांवतसिह ने पक्षकार बनने का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर भंवरसिह पुत्र सांवतसिह को पक्षकार बनाया ।

वकील अपीलार्थियां का कथन है कि स्व0 खातेदार मानसिह के एकमात्र जायंदा पुत्री अपीलार्थियां ही है, स्व0 मानसिह के कोई जायंदा पुत्र नही था । उक्त खातेदार मानसिह एवं शिवराज के फोत होने पर उनके खातेदारी की भूमि के संबंध मे फोतेदगी म्युटेशन संख्या 644 बिना मृतक के विधिक वारिसान की जांच किये तथा अपीलार्थियां को सुनवाई

का अवसर दिये स्वीकृत कर दिया, जिसकी जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत म्युटेशन की अपील के साथ धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसका जवाब अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 भंवरसिह पुत्र सांवतसिह ने पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के गुणावगुण पर विचार किये बिना अपील को मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिविरूद्ध होने से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलार्थियां ने अपनी बहस के दौरान कथन किया कि अपीलार्थियां स्व0 खातेदार मानसिह की एकमात्र जायंदा पुत्री होने के नाते मृतक के खातेदारी की भूमि विरासत मे उसकी पुत्री के नाम ही दर्ज होनी चाहिये थी परंतु राजस्व कर्मियो एवं सरपंच ने मिलावट कर अपीलाधीन म्युटेशन भंवरसिह जो अपीलार्थियां का चचेरा भाई है, उसके पक्ष मे स्वीकृत कर दिया जो प्रारंभ से ही अवैद्य एवं शून्य है इसलिए ऐसे शून्य आदेशो के विरूद्ध अपील मे मयाद नियम लागू नही होता है इस संबंध में वकील अपीलांट ने ए. आई.आर. 1994 एस.सी. पेज 853 की निर्णय नजीर का उद्धरण पेश करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियां की प्रथम अपील के गुणावगुण पर परीक्षण किये बिना ही केवल मयाद के प्रश्न पर अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है । वकील अपीलार्थियां ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दोनो पक्षो को सुना गया था तथा अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पो0 भंवरसिह की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे स्पष्ट उल्लेख किया है कि मानसिह की मृत्यु के थोडे दिन बाद उसकी पत्नी सुवटी (वर्तमान अपीलार्थियां की माता) अपनी नाबालिग पुत्री प्रार्थियां को लेकर गांव बारवा चली गई अथार्त रेस्पो0 स्वयं स्वीकार करता है कि प्रार्थियां मृतक खातेदार मानसिह की पुत्री है ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय को निर्णय मेरिट पर पारित किया जाना चाहिये था परंतु केवल मयाद के बिन्दु पर अपील को खारीज करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलार्थियां ने अपीलाधीन नामांतरकरण की ओर ध्यान दिलाते हुए कथन किया कि नामांतरकरण पर पटवारी के कोई हस्ताक्षर नही है, म्युटेशन पर सीधे गिरदावर की जांच रिपोर्ट दिनांक 10-10-77 पर हस्ताक्षर तथा सरपंच द्वारा स्वीकृति के हस्ताक्षर किये हुए है, उस पर भी कोई तारीख अंकित नही की हुई है तथा यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत द्वारा अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृत करते समय अपीलार्थियां की माता को कोई सुनवाई का अवसर नही दिया इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन प्रारंभ से ही शून्य होने से ऐसे आदेशो को कभी भी जानकारी होने पर चुनौती दी जा सकती है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया ।

वकील अपीलार्थियां द्वारा न्यायालय मे बहस के दौरान किये गये कथन कि अपीलार्थियां के पिता की अन्य खातेदारी की भूमि मे उसके पिता के स्थान पर उसकी

पत्नी एवं अपीलार्थियां का नाम विरासत के म्युटेशन मे दर्ज किया गया था जिसकी पुष्टि स्वरूप अपीलार्थियां के अधिवक्ता ने फार्म नंबर 3 के सलंग्न जमाबंदी संवत 2073–76 की प्रतियां दिनांक 22–10–2018 को पेश करते हुए अपीलाधीन म्युटेशन मे भी उसका नाम दर्ज करवाने का निवेदन किया ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–12–2017 को निरस्त करने तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर मृतक खातेदार के विधिक वारिस अपीलार्थियां के नाम म्युटेशन दर्ज करने के आदेश पारित करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी बहस के समर्थन मे परिसीमा अधिनियम के संबंध मे आर.आर. डी. 1992 पेज 17, आर.आर.डी. 1996 पेज 16, आर.आर.डी. 1992 पेज 239,आर.एल.ड्ब्लु 2008 (2) आरजे पेज 1142, आर.आर.टी.2002 (1) पेज 257 की निर्णय नजीरे पेश की। अपील के गुणावगुण पर निर्णय पारित करने के समर्थन मे 2013(1)आर.एल.ड्ब्लु. पेज 268 (राज), 2012(1)आर.एल.ड्ब्लु. पेज 63 (एससी), आर.आर.डी. 1998 पेज 319 की निर्णय नजीरें, 1997 (1) एपेक्स कोर्ट जोधपुर 105 (एससी), आर.एल.ड्ब्लु 2008 (2) राज. 812, आर.आर.डी.1994 पेज 85, 2012 (1) डी.एन.जे राज. पेज 527 तथा ए.आई.आर.1994 एस.सी. पेज 853 की निर्णय नजीरे पेश की ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय का समर्थन करते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष लगभग 38 वर्ष के विलंब से प्रस्तुत अपील के साथ जो धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र पेश किया गया था उसमे देरी को क्षमा करने बाबत कोई ठोस एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही किया है जिस पर विश्वास किया जाकर अपील को अंदर मयाद सुमार किया जा सकें । वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे विलंब को क्षमा करने बाबत मात्र यह लिखना कि फसल खराबा होने पर मुआवजा लेने हेतु पटवारी हल्का से सम्पर्क किया तो पटवारी हल्का से उक्त म्युटेशन की जानकारी हुई परंतु पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थियां को जानकारी देने बाबत कोई शपथपत्र पटवारी की ओर से प्रस्तुत नही किया है इसलिए केवल कयासी कारण का उल्लेख धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे होने से अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थियां की अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज किया है, जिसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होना पाया जाता है । वकील रेस्पो0 ने अपनी इस बहस के समर्थन मे आर.आर.टी. 2011 वोल्युम 4 पेज 421 की निर्णय नजीर का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि यदि विलंब से प्रस्तुत अपील मे यदि विलंब को क्षमा करने बाबत प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे कोई पर्याप्त एवं संतोषप्रद कारण का उल्लेख नही होने पर अपील को अंदर मयाद सुमार नही किया जाना चाहिये तथा मयाद के बिन्दु को पहले निर्णित करना चाहिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया । वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे डी.एन.जे. 2011 (1) पेज 421, आर.आर.टी. 2010 (2) पेज 801 (एच.सी), आर.आर.टी. 2010 (1)

पेज 19 (एच.सी), आर.आर.टी. 2001 (1) पेज 17, आर.आर.डी. 1991 पेज 25, आर.आर.डी. 1994 पेज 276, आर.आर.डी. 1991 पेज 164 की निर्णय नजीरे पेश करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को विधिसम्मत बताया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय के विरूद्ध अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

रिबेटल बहस मे अपीलार्थियां के अधिवक्ता ने कथन किया कि क्या पत्नी व पुत्री के पीहर चली जाने से मानसिह के वारिसान के अधिकार समाप्त हो जायेंगे ? अपीलार्थियां को जब भी अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी हुई उसके द्वारा अपने अधिकारो के लिए अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश कर दी थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को निरस्त करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली, अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 644 ग्राम मोहराई तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय आदि का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष के अधिवक्ताओं द्वारा अपनी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी परीक्षण किया । अपीलाधीन ग्राम मोहराई तहसील जैतारण के नामांतरकरण संख्या 644 मे अंकित भूमि के खातेदार मानसिह पुत्र सबल सिह एवं शिवराज पुत्र मलूकचंद के फोत होने पर उक्त फोतेदगी का म्युटेशन सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा स्वीकृत किया गया है, उक्त म्युटेशन फोतेदगी का म्युटेशन होने से मृतक के विधिक वारिस की जांच कर स्वीकृत किया जाना चाहिये था परंतु उक्त म्युटेशन मृतक के प्रथम श्रेणी के वारिसान मृतक की पत्नी एवं पुत्री जो तत्समय दोनो जीवित थी तथा उनके अधिकार विरासत मे स्वतः ही उत्पन्न हो चुके थे परंतु उनके नाम दर्ज नही करते हुए रेस्पो0 संख्या 1 भंवरसिह जो कि मृतक खातेदार मानसिह का भतीजा है, उसे मानसिह का पुत्र बताते हुए सरपंच ग्राम पंचायत मोहराई द्वारा स्वीकृत कर दिया तथा उक्त म्युटेशन पर पटवारी हल्का के कोई हस्ताक्षर ही नही है सीधे गिरदावर की जांच रिपोर्ट के बाद सरपंच द्वारा स्वीकृत कर दिया जाना प्रकट होता है, जो विधिसम्मत नही माना जा सकता है ।

अपीलार्थियां सुन्दर देवी जो कि मृतक खातेदार मान सिह की जायंदा पुत्री है तथा मृतक खातेदार की प्रथम श्रेणी की वारिस है, इस बात का रेस्पो0 ने कोई खण्डन नही किया है । अपीलार्थियां को उक्त म्युटेशन संख्या 644 की जानकारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण के समक्ष प्रथम अपील पेश करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 भंवरसिह पुत्र मानसिह के नाम का सम्मन जाने पर उक्त सम्मन को वर्तमान रेस्पो0 संख्या 1 भंवर सिह पुत्र सावंतसिह ने प्राप्त किया तथा अधीनस्थ न्यायालय मे पक्षकार बनने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अधीनस्थ न्यायालय ने 16—11—16 को वर्तमान रेस्पो0 को अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे पक्षकार बनाने के आदेश पारित किये गये तथा पत्रावली मे दिनांक 21—12—17 को उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस अपील मय धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर सुनी जाकर पत्रावली आदेश हेतु दिनाक 22—12—2017 को रखी

जाकर उक्त दिनांक को अपीलार्थियां की अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर ही खारीज कर दिया जबकि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह तथ्य तो प्रकट हो चुका था कि मृतक खातेदार मानसिह की पत्नी एवं पुत्री म्युटेशन स्वीकृति के समय जीवित थी, जैसाकि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे उल्लेख किया है कि खातेदार मानसिह की मृत्यु के थोडे दिनो बाद उसकी पत्नी सुबटीदेवी ने अपनी नाबालिग पुत्री (वर्तमान अपीलार्थियां) को लेकर गांव बारवा चली गई थी अथार्त मृतक खातेदार मानसिह के प्रथम श्रेणी के वारिसान अपीलार्थियां की मां तत्समय जीवित होते हुए बिना जांच के स्व0 मानसिह के खातेदारी की भूमि का फोतेदगी म्युटेशन भंवरसिह पुत्र मानसिह के नाम उतराधिकारी के रूप मे स्वीकृत कर दिया, तो क्या उक्त म्युटेशन सही स्वीकृत हुआ था ? अधीनस्थ न्यायालय ने इस बिन्दु पर गौर किये बिना अपीलार्थियां की अपील को केवल मयाद के बिन्दु पर खारीज करने का जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, वह समर्थन योग्य नही होने से उसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

वकील अपीलार्थियां ने फार्म नंबर 3 के सलंग्न ग्राम मोहराई की जमाबंदी संवत् 2073–76 की प्रतियां पेश की है जिसमे खसरा नंबर 169 तथा 169/1 की भूमियो मे मृतक खातेदार मानसिह के स्थान पर भंवरसिह पुत्र सांवतसिह, सुवटीदेवी पत्नी मानसिह एवं सुन्दरदेवी पुत्री मानसिह के नाम दर्ज है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलार्थियां द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जैतारण द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22–12–2017 ग्राम ग्राम मोहराई का म्युटेशन संख्या 644 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार जैतारण को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मृतक खातेदार मानसिह के विधिक वारिसान की जांच कर अपीलार्थियां एवं रेस्पो0 संख्या 1 को सुनवाई एवं साक्ष्य सबूत प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः नामांतरकरण के संबंध मे विधिसम्मत कार्यवाही सम्पन्न करें ।

निर्णय आज दिनांक 25–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

25/10/18

(मानाराम पटेल)

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त

जोधपुर